न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या– 03/विशेष न्यायाधीश, एन०डी०पी०एस० एक्ट, मेरठ
पीठासीन अधिकारी–रितिश सचदेवा, (एच०जे०एस०)
J.O. Code UP–1563

CNR No.– UPME010089282026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन सं०– 3113/2026
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 2517/2026

इकरार पुत्र इकबाल निवासी ग्राम अलीपुर थाना लोहियानगर, जिला मेरठ।

––––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

––––––अभियोजन पक्ष
मु०अ०सं०– 244/2026
धारा– 3/5/8 C.S. Act
थाना– जानी, मेरठ।

उपस्थित–
राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)– श्रीमती प्रेरणा वर्मा
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता– श्री अनुज कुमार शर्मा

दिनाँकः– 25.06.2026

1. प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2517/2026 आवेदक/अभियुक्त इकरार पुत्र इकबाल के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मु०अ०सं०– 244/2026, अन्तर्गत धारा– 3/5/8 C.S. Act, थाना जानी, जिला मेरठ, के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम बहरामपुर खास थाना जानी मेरठ का रहने वाला है। दिनांक 04.05.2026 को प्रातः मंगू सैनी पुत्र श्री मूलचन्द सैनी, निवासी ग्राम बहरामपुर खास, थाना जानी, मेरठ अपने बेटे अंशुल के साथ रात्रि में सिंचाई के लिये अपने खेत पर जा रहा था। जब वह लोग रास्ते में परशेराम नि० बहरामपुर मोरना के खेत के पास पहुँचे तो देखा कि परशेराम के गन्ने के खेत में एक नन्दी व गाय कटे पड़े थे जिनका चमड़ा उतारा गया था तथा अपराधियों के काटने के हथियार और दो जोड़ी चप्पल वही पडे हुये थे। सम्भवतः अपराधी मंगू सैनी व उसके बेटे को आता देखकर भाग गये थे। यह घटना अपराधियों द्वारा आपसी शौहार्द बिगाडने व लोकव्यवस्था को भंग करने के लिये तथा कारित किये गये अपराध से धन अर्जित करने के उद्देश्य से की गयी है, इसकी सूचना मैने जरिये दूरभाष थाने पर दी। उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त अभियोग में दिनांक 24.05.2026 से जिला जेल मेरठ मे निरूद्ध है। उनका जमानत प्रार्थना–पत्र अधीन न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्र०सू०रि० के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर कोई अपराध अ०धारा–3/5/8 गौवध अधिनियम का नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त केस में नामित अभियुक्त नही है इस आधार पर भी प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा घटना के लगभग 7 घण्टे विलम्ब से प्रथम सूचना

रिपोर्ट लिखाने का कोई कारण नही दर्शाया है। कथित अपराध कारित करने का कोई मोटिव प्रार्थी/अभियुक्त पर नही है। पूर्व मे प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कथित घटना से सम्बन्धित कोई बरामदगी किसी प्रकार की नही है। कथित घटना में सह अभियुक्तगण के कन्फैशन के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फसांया गया है जो अधिनियम मे ग्राह्य नही है। सह अभियुक्त रिहान की जमानत दिनांक 09.06.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी भी पैरीटी के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्षों के तर्क सुने एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के सम्यक परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त नामजद नहीं है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। पुलिस आख्या के अनुसार मु०अ०सं० 278/26 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि० व 3/5/5(ए)/8 गौवध 03 अदद छुरी, एक अदद गंडाशा, 02 अदद रस्सी पीले व सफेद रंग की व एक अदद टार्च एवं 6 अदद प्लास्टिक के खाली कट्टे, एक लोडर रजि० नं0 UP37BT3343 मे बरामद हुए थे, जोकि अभियुक्त के गिरफ्तारी दौराने पूछताछ पता चला मु०अ०स० 244/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम घटना से भी सम्बन्धित है। अभियुक्त के द्वारा गिरफ्तारी व पूछताछ के दौरान मु०अ०सं० 244/2026 की घटना को स्वीकार भी किया गया है।प्रार्थी/अभियुक्त आदतन अपराधी है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक इतिहास दाखिल किया गया है जिसके अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर, गाजियाबाद में मु०अ०सं० 504/2022 धारा 3/8 गौ0 अधि० व मु०अ०सं० 521/2022 धारा 307 ipc पंजीकृत है व थाना लिसाडी गेट जनपद, मेरठ मु०अ०सं० 129/2023 धारा 147,148,149,341,323,504,506 ipc पंजीकृत है। अभियुक्त के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया है कि सह अभियुक्त रिहान की जमानत दिनांक 09.06.2026 को स्वीकृत हो चुकी है। प्रार्थी भी पैरीटी के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में सह अभियुक्त रिहान की जमानत बरामदगी एवं आपराधिक इतिहास के अभाव में दिनांक 09.06.2026 को स्वीकृत की जा चुकी है। सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 INSC 1370/2025 SCO.LR 12(1)(5) निर्णित दिनांकित 28.11.2025 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सह अभियुक्त को जमानत मिल जाने मात्र से दूसरे अभियुक्त को जमानत का अधिकार नहीं मिलता। समानता तभी लागू होगी, जब भूमिका, परिस्थिति एवं अभियुक्त का पूर्ववर्ती आचरण समान हो। समानता कोई कठोर एवं यांत्रिक सिद्धांत नहीं है, अभियुक्त की आपराधिक प्रवृति होने से मात्र समानता के आधार पर स्वतः जमानत प्रदान नहीं की जा सकती।

अतः अभियुक्त इकरार से हुई बरामदगी एवं आपराधिक इतिहास को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त इकरार का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। केस डायरी में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध मौजूद हैं, जिसके दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त इकरार को जमानत प्रदान किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया, तो उसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने व न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार से फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता

है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्ता **इकरार पुत्र इकबाल** की ओर से अ०सं०– 244/2026, अन्तर्गत धारा– 3/5/8 C.S. Act, थाना जानी, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2517/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनाँक– 25.06.2026

(रितिश सचदेवा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं० 3/विशेष न्यायाधीश
एन०डी०पी०एस० एक्ट, मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.